सं. - ए.11013/02/2024-एचआर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
(प्रशासन प्रभाग)
*****

द्वितीय तल, आईआरसीएस भवन
रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली 110001
दिनांक: ०५.09.2025

विज्ञापन

1. पदनाम: परामर्शदाता-सह-अनुवादक

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में परामर्शदाता-सह-अनुवादक के पद पर पूर्णतया अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. रिक्तियां: 01

3. पात्रता शर्तें: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग या उनके अधीन किसी संबद्ध/स्वायत्त कार्यालय/पीएसयू/संगठन से सेवा-निवृत्त अनुवादक/अधिकारी अथवा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से इतर किसी अन्य संवर्ग में सेवा निवृत्त राजभाषा अधिकारी अथवा अनुवादक।

4. उत्तरदायित्व:

1. कैबिनेट नोट, आरटीआई, संकल्प, ज्ञापन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति संबंधी रिपोर्ट, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन, संसद सत्रों के दौरान लोकसभा / राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर, वार्षिक रिपोर्ट, बजट संबंधी स्थायी समितियां, परिणामी बजट, अन्य देशों के साथ होने वाले समझौता ज्ञापनों, मंत्री जी के भाषणों, दौरा कार्यक्रमों, उदघाटन भाषणों, शिलान्यास कार्यक्रमों, आदि से संबंधित सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना।

2. संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अंतर्गत मंत्रालय के विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन एवं समीक्षा करना। साथ ही, मंत्रालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट समेकित करना और राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करना।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन एवं कार्यवृत्त तैयार करना।

4. वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करना।

5. मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

6. कंप्यूटर पर डिक्टेशन देने की क्षमता।

7. राजभाषा नीति के अनुपालन में समय-समय पर आने वाले अन्य कार्य।

5. पारिश्रमिक

सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप से चुने जाने वाले सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 325/2020 ई.।।।ए के तहत किया जाएगा।

6. नियुक्ति की अवधि

नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक।

7. आवेदन करने की अंतिम तिथि

विज्ञापन जारी होने के 15 दिन तक।

8. रिपोर्टिंग अधिकारी

अवर सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, आईआरसीएस भवन, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली-110001

आवेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज

1. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की स्वतः प्रमाणित प्रति।

2. संलग्न प्रपत्र में जीवन-वृत्तांत/जीवन परिचय

राजीव
०५।०९।२०२५

(राजीव सक्सेना)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011 - 23736217

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में परामर्शदाता-सह-अनुवादकों की नियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तें

1. संविदा नियुक्ति की अवधिः नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिए होगी। तथापि, इस नियुक्ति को किसी भी समय तत्संबंधी कारण बताए बगैर समाप्त किया जा सकता है।

2. संविदा नियुक्ति के लिए लागू नियम/अनुदेशः यह नियुक्ति जीएफआर, 2017 में अंतर्विष्ट संगत शर्तों के अनुसार संविदात्मक आधार पर परामर्शदाता के रूप में होगी।

3. मुख्यालयः मुख्यालय नई दिल्ली होगा। उनका कार्यालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, आईआरसीएस भवन, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली होगा।

4. पारिश्रमिकः सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप से चुने जाने वाले सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3 25/2020 ई.।।।ए के तहत किया जाएगा।

5. छुट्टीः परामर्शदाता यथानुपात आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक छुट्टी के पात्र होंगे। अतः 18 दिनों से ज्यादा छुट्टी लेने पर वे उस अवधि के लिए कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, किसी भी वर्ष में न ली गई छुट्टी को आगामी कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं ले जाया जाएगा।

6. इस मंत्रालय के साथ परामर्शदाता की अवधि के दौरान अन्य निजी कार्य न करनाः उन्हें इस मंत्रालय के साथ परामर्शदाता के रूप में अनुबंधित अवधि के दौरान कोई भी अन्य निजी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

7. टीए/डीएः मंत्रालय के व किसी अन्य प्रकार के नियत सरकारी कार्य के लिए कार्यालय से बाहर प्रतिनियुक्त करने हेतु भेजे जाने अथवा दौरे पर रहने के दौरान, उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में समकक्ष/सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/रैंक के किसी भी सेवारत अधिकारी के लिए लागू नियमों के अनुसार परिवहन व्यय, टीए/डीए अनुमत्य होगा।

8. सरकारी कार्य के लिए अवकाश दिवसों में कार्यालय में सेवारत अन्य कर्मचारियों की तरह ही बुलाया जा सकता है।

9. टेलीफोनः परामर्शदाता टेलीफोन सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

10. परिवहनः परामर्शदाता परिवहन सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

12. स्टाफ कार सुविधाः परामर्शदाता को निर्धारित कार्य-दिवसों व समय में निजी प्रयोजनार्थ और घर तथा कार्यालय के बीच की यात्रा के लिए स्टाफ कार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

13. आवासः परामर्शदाता केंद्रीय सरकार के पूल से किसी भी रिहायशी आवास हेतु पात्र नहीं होगा।

14. यह पूर्णतः अनुबंध आधार पर होगा और इस नियुक्ति को जारी रखने व उसको नियमित किए जाने के लिए दावा करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उन्हें नहीं होगा।

<u>जीवन परिचय</u>

1. नामः

2. जन्म तिथिः

3. पिता का नामः

4. शैक्षिक अर्हताः

5. सरकारी सेवानिवृत्ति की तारीखः

6. अंतिम आहरित वेतनः

7. मोबाइल नं. और ईमेल आईडी:

8. उस संगठन/उन संगठनों का नाम जहां पर कार्य किया है:

9. वर्तमान पताः

10. अनुवाद एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के अनुभव का संक्षिप्त ब्यौराः

दिनांकः

हस्ताक्षरः